**--स्मृति पत्र—**

**संस्था का नाम- टीचर्स गेम्स वेल्फेयर एसोसिएसन उ0प्र0**

**पंजीकरण संख्या- ALL/00073/2020-21 दिनांक 27-05-2020**

**कार्य क्षेत्र- समस्त उत्तर प्रदेश**

**कार्यालय- सरस्वती नगर फेज नंबर- 8A, मडौका, डांडी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211008**

**दिनांक 14-06-2020 को संस्था की प्रबंधकारणी समिति द्वारा कार्यवाही बैठक मे प्रस्ताव पास किया गया कि उत्तर प्रदेश मे विभिन्न स्तरों पर उपसमितियाँ बनाकर एसोसिएसन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रदेश स्तर पर एक राज्यस्तरीय कार्यकारी समिति, समस्त मण्डलों मे मण्डल स्तरीय कार्यकारी समितियां व समस्त जनपदों मे जनपद स्तरीय कार्यकारी समितियां बनाकर उनके पदाधिकारियों/ सदस्यों के लिए नियम-विनियमों को बनाते हुये एसोसिएसन के द्वारा मान्यता/ संबद्धता देकर कार्यों का निष्पादन किया जाय ।**

**उपसमितियों के उद्देश्य**

**1- शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का प्रचार–प्रसार करके शिक्षकों, महिलाओं, बालक तथा बालिकाओं का तरह– तरह के खेल एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रतियोगिताएं एवं प्रशिक्षण आयोजित करना ।**

**2- एसोसिएसन द्वारा उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यो मे बेसिक, माध्यमिक, महाविद्यालयो, विश्वविद्यालयों आदि के शिक्षकों व छात्र /छात्राओं तथा समस्त बोर्डों से संचालित मान्यताप्राप्त, वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयो के शिक्षकों व बच्चो की स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर तक की खेलकूद प्रतियोगिताएं व ट्रायल्स करा के खेल के स्तर को आगे बढ़ाते हुये सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना ।**

**3- तरह-तरह के ब्यातिगत व सामूहिक खेल जैसे एथलेटिक्स (दौड़ ,फेंक ,कूद के सभी एवेंट्स ) बैडमिंटन, लान- टेनिस, टेबल-टेनिस, शतरंज, जूडो, कराटे, तीरंदाजी, शूटिंग, कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, वालीबाल, फुटबाल, बास्केटबाल, हाँकी, क्रिकेट, हैंडबाल, जिमनास्टिक, योगासन, तलवारबाजी, बाक्सिंग, सूटिंग, तीरंदाजी आदि खेलों का स्थानीय स्तर से लेकर राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हुये बिना किसी जातिगत ,वर्गवार भेदभाव के योग्य व ऊर्जावान खिलाड़ियों को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाना ।**

**4- एसोसिएसन के माध्यम से वंचित व गरीब तबके के प्रतिभावान खिलाड़ियों व बच्चों को चिन्हित करके उनके खेल, प्रतिभागिता व प्रशिक्षण हेतु हर संभव सहयोग करना।**

**5- ओपेन या विभागीय प्रतियोगिताओं मे राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को चिन्हित करके उनके लिए राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग हेतु एसोसिएसन के माध्यम से आश्रय व संरक्षण उपलब्ध कराना ।**

**6- पर्यावरण संरक्षण, रेडक्रास, स्काउटिंग तथा आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न सामाजिक कार्यों मे शिक्षकों तथा बच्चो को आगे ले जाना।**

**7- एसोसिएसन के माध्यम से विभिन्न खेलो मे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को आमंत्रित कर उनके द्वारा शिक्षकों व बालक /बालिकाओं को संबन्धित खेल का प्रशिक्षण/कैंप आयोजित कराना ।**

**8- एसोसिएसन के द्वारा खेल के मैदान, कार्यशाला या प्रशिक्षण हेतु भवन या भूमि किराये पर या निजी तौर पर उपलब्ध कराना ।**

**9- खेल के क्षेत्र मे उपलब्ध हासिल करने वाले शिक्षकों /महिलाओं या बच्चो के लिए सम्मान समारोह, पुरस्कार वितरण कर खिलाड़ियों का उतसाहवर्धन करना ।**

**10- खेलों के आयोजन के लिए विभिन्न सरकारी /गैरसरकारी कंपनियों /फर्मों /संस्थाओं /एजेंसियों से सहयोग प्राप्त कर खेलों की आर्थिक व्यय की पूर्ति करना ।**

**11- राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे विश्व योगा दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, स्वास्थ दिवस आदि अवसरों पर सरकारी/ गैर सरकारी आयोजनों मे सहयोग कर रैली या गोष्ठियाँ आयोजित करना ।**

**12- एसोसिएसन के माध्यम से खिलाड़ियों के रोजगार, ब्यवसाय, आदि के लिए सहायता करना ।**

**13- एसोसिएसन के कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए अन्य संबन्धित जनपद मे विकास खण्ड या तहसील स्तर पर समितियों का गठन कर कार्य निस्पादित कराना ।**

**14- खेलों के माध्यम से आपसी भाईचारे का देश भर मे माहौल बनाना ।**

**15- खेलों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण, सामाजिक वानिकी एवं बृक्षारोपन के महत्व को समझाना एवं जन-जागृति लाना ।**

**16- खेलों के माध्यम से नशाखोरी की लत से यूवा पीढ़ी को मुक्त कराना ।**

**17- एसोसिएसन के विकास एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा अन्य श्रोतों के माध्यम से अनुदान, वित्तीय सहायता व भूमि आदि प्राप्त करना ।**

**18- एसोसिएसन के माध्यम से प्रौढ़ो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु तक के खिलाड़ियों की भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराके उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना ।**

**19- एसोसिएसन द्वारा आयोजित या आँय मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक व राष्ट्रीय की खेलकूद प्रतियोगिताओं मे खिलाड़ियों को प्रतिभाग हेतु अवसर उपलब्ध कराना ।**

**20- संस्था के स्थापना एवं विकास हेतु चल –अचल संपत्ति अर्जित करना ।**

**21- खेलकूद उपकरणो के क्रय हेतु विभिन्न एजेंसियों से संपर्क स्थापित करके निःशुल्क या न्यूनतम मूल्य पर पिछड़े व वंचित क्षेत्रों के खिलाड़ियों /गैर सरकारी स्टेडियम्स से संपर्क स्थापित करके खिलाड़ियों को खेलने के अवसर उपलब्ध कराना ।**

**22- प्रतिभावान गरीब व पिछड़े तबके के बच्चो को खेल के क्षेत्र मे आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद करना ।**

**23- खेल को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना कर संस्था के माध्यम से संचालित करना ।**

**24- शिक्षकों /कर्मचारियों की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के लिए संबन्धित विभाग से अवकाश स्वीकृति हेतु पत्र ब्यवहार कर मार्ग ब्यय व अन्य खर्चों की पूर्ति का प्रयास करना ।**

**26- भारत सरकार की खेलकूद व स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया, खेलो इंडिया आदि स्लोगन का प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रचार प्रसार करना।**

**27- विभिन्न महापुरुषों जैसे महात्मा ज्योतिबाफूले, महात्मा गाँधी, बी0आर0अम्बेडकर आदि तथा पूर्व महान खिलाड़ियों जैसे मेजर ध्यान चंद्र, बाबू के0डी0 सिंह, पी0टी0ऊषा आदि के नाम पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ।**

 **इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे कार्य करना जो एसोसिएसन की नियमावली के अनुसार एसोसिएसन की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाय ।**

**उपसमितियों के लिए नियमावली -**

**सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग -**

**(अ) आजीवन सदस्य – कोई भी ब्यक्ति जो भारत का निवासी हो वह एसोसिएसन को 5001 रू0 सदस्यता शुल्क के रूप मे अदा करेगा या इतने ही मूल्य की संपत्ति संस्था को देगा वह एसोसिएसन की साधारण सभा का आजीवन सदस्य होगा ।**

**(ब) सामान्य सदस्य – जिला/ मण्डल व राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव व कोषाध्यक्ष एसोसिएसन को 500 रू0 वार्षिक, विभिन्न खेलों के महिला व पुरुष प्रभारी 200 रू0 वार्षिक तथा एसोसिएसन से जुड़ने वाले समस्त प्रशिक्षकों, निर्णायकों व अन्य ब्यक्तियों/ शिक्षकों के लिए 100 रू0 वार्षिक देय है ।**

**सदस्यता की समाप्ति –**

**1- मृत्यु होने पर । 2- पागल या दीवालिया होने पर । 3- संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर । 4- न्यायालय द्वारा दंडित होने पर । 5- अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित होने पर । 6- लगातार तीन बैठकों मे बिना कारण बताए अनुपस्थित होने पर । 7- नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर । 8- एसोसिएसन की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा उचित कारण से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर प्रत्येक स्तर की कार्यकारी समिति के सदस्यों/ पदाधिकारियों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है ।**

**उपसमितियों के अंग – एसोसिएसन की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा नियंत्रणाधीन प्रदेश स्तरीय, मण्डलीय व जनपद स्तरीय उपसमितियों के दो अंग रहेंगे।**

**1- साधारण समिति 2- कार्यकारी समिति**

**साधारण समिति –**

**(1) गठन – शासकीय/ परिषदीय शिक्षक जिन्होंने कम से कम 1 वर्ष पूर्व एसोसिएसन की सदस्यता शुल्क जमा करके सदस्यता लिया है उन सभी को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जाएगा और वही मताधिकार के लिए अधिकृत रहेंगे, विभिन्न खेलों के महिला व पुरुष प्रभारी भी साधारण समिति के अंतर्गत रहेंगे ।**

**(2) बैठक – सामान्य बैठक वर्ष मे दो बार होगी, आवश्यक बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।**

**(3) सूचना अवधि – सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जानी चाहिए ।**

**(4) गणपूर्ति – सभी प्रकार की बैठकों का कोरम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से होगा । स्थगित बैठक मे कोरम का प्रतिबंध न होगा परंतु एजेण्डे का विषय पूर्वरत रहेगा ।**

**(5) विशेष वार्षिक अधिवेशन – वार्षिक अधिवेशन सत्र की समाप्ति पर वर्ष मे एक बार होगा , जिसकी तिथि कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी ।**

**(6) साधारण समिति के कर्तव्य – 1- कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों तथा विभिन्न खेलों के महिला व पुरुष प्रभारियों का मत देकर चुनाव करना । 2- अधिवेशन मे अन्य आवश्यक प्रस्ताव पारित करना । 3- कार्यवाही मे संशोधन/ परिवर्तन करना । 4- कार्यकारी समिति व साधारण समिति के किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ना । 5- एसोसिएसन का वार्षिक बजट प्राप्त करना व रिपोर्ट पारित करना । 6-**

**कार्यकारी समिति –**

**(1) गठन – साधारण समिति द्वारा निर्वाचित कार्यकारी समिति होगी जिसमें एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, एक सचिव, 3 संयुक्त सचिव, एक कोषाध्यक्ष होंगे। प्रत्येक स्तर पर सचिव पद के लिए शारीरिक शिक्षा से डिग्री/ डिप्लोमा योग्यता होना अनिवारी है ।**

**(2) बैठक – कार्यकारी समिति की सामान्य बैठकें साल भर मे कम से कम दो बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।**

**(3) सूचना अवधि – बैठकों की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना कम से कम 24 घंटे लिखित सूचना के आधार पर दी जा सकती है ।**

**(4) गणपूर्ति – कार्यकारी समिति की बैठकों मे दो तिहाई सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी । एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः बुलाई गयी बैठक के लिए कोरम का प्रतिबंध न होगा परंतु एजेण्डे के विषय पूर्ववत रहेंगे ।**

**(5) रिक्त स्थानों की पूर्ति – कार्यकारी समिति मे यदि किसी प्रकार का कोई रिक्त स्थान होता है तो उसकी पूर्ति कार्यकारी समिति के दो तिहाई बहुमत से शेष कार्यकाल तक के लिए होगी ।**

**(6) कार्यकारी समिति के कर्तव्य –**

 **1- समय-समय पर बैठक बुलाना तथा अन्य आवश्यक कार्य हेतु प्रस्ताव पारित करना । 2- संस्था के लिए आय का साधन जुटाना तथा आय की स्वीकृति प्रदान करना । 3- संस्था के संबन्धित सभी अभिलेखों को बनाए रखना तथा अध्यक्ष /सचिव के निर्देशानुसार कार्य करना । 4- संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना । 5- संस्था के सभी उद्देश्यों की पूर्ति तथा उन्नति के आवश्यक कार्य करना । 6- कमजोर व वंचित वर्ग के योग्य खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराना। 7- अलग- अलग खेलों के आयोजन, ट्रायल्स, प्रशिक्षण,खिलाड़ियों के चयन व विकास के लिए उस खेल के जानकार ब्यक्ति को संबन्धित महिला व पुरुष खेल प्रभारी के साथ सहयोग मे 3 अन्य सह प्रभारी नियुक्त करना (कुल संख्या 5) । 8- एसोसिएसन के नाम से निःशुल्क ट्रेनिंग एकेडमी खोलने या प्रशिक्षण कैंप लगाने आदि के लिए प्रबंधकारिणी समिति से अनुमोदन के उपरांत अनुमति देना । 9- एसोसिएसन की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा समय- समय पर प्रस्तावित/ पारित नियम विनियमों का संबन्धित जनपद/ मण्डल/ राज्य स्तर पर अनुपालन कराना। 10- सभी पदाधिकारियों/ सदस्यों पर नियंत्रण रखना।**

**(7) कार्यकाल – कार्यकारी समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा परंतु यदि समिति का सदस्य निर्वाचित न होकर एसोसिएसन की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा मनोनीत किया गया हो तो वह पद मनोनयन की तिथि से अधिकतम एक वर्ष तक ही कार्य कर सकेंगे । अगले सत्र का अनुमोदनया निर्वाचन आवश्यक है ।**

**उपसमितियों के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की क्रिया –**

**उपसमितियों के नियमों व विनियमों मे परिवर्तन केवल एसोसिएसन की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा ही किया जा सकता है।**

**उपसमितियों के कोष –**

**1- एसोसिएशन का कोष किसी राष्ट्रीयकृत /मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस मे खोलकर जमा किया जाएगा तथा खाते का संचालन जनपद/ मण्डल/ राज्य प्रत्येक स्तर पर जनपदीय/ मण्डलीय/ प्रादेशिक कार्यकारी समिति के अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा । 2- जनपद/ मण्डल/ राज्य कार्यकारी समिति के खाते एसोसिएसन की प्रबंधकारणी समिति के निर्देशन मे खोले जाएँगे तथा प्रबंधकारणी समिति के अध्यक्ष व सचिव के द्वारा संचालित मुख्य खाते से सम्बद्ध रहेंगे। 3- प्रत्येक स्तर पर खातों मे संबन्धित सदस्यों की सदस्यता तथा विभिन्न श्रोतों से प्राप्त धन को जमा कर खेलों के आयोजन, प्रशिक्षण, ट्रायल्स, पुरस्कार, उपकरण, अभिलेख व प्रबंधन आदि मदों मे धन को व्यय किया जाएगा। 4- प्रत्येक स्तर पर प्राप्त सदस्यता शुल्क को एसोसिएसन के मुख्य खाते मे जमा किया जाएगा जिसका एसोसिएसन 10 से 15% तक धनराशि अपने खाते मे रखते हुये शेष धनराशि संबन्धित जनपद/ मण्डल/ राज्य समिति के खाते मे भेजेगा । 4- जनपद स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को मण्डल स्तरीय आयोजनों/ ट्रायल्स मे प्रतिभाग हेतु मंडलीय कार्यकारी समिति द्वारा तय किए गए प्रतिभाग शुल्क (इंट्री फीस) को देना होगा उसी तरह मण्डलीय समिति राज्य कार्यकारी समिति द्वारा तय किए गए प्रतिभाग शुल्क का भुगतान कर प्रतिभाग करेगा । 5- खेल व वंचित वर्ग के खिलाड़ियों के विकास के लिए मंडलीय कार्यकारी समिति दान, चंदे या स्पोंसरशिप से एकत्र अतिरिक्त धन को संबन्धित जनपदों के खातों मे स्थानांतरित कर सहयोग करेगा उसी प्रकार राज्य कार्यकारी समिति के द्वारा मण्डल या जनपदों मे सहयोग एवं विकास हेतु धन प्रेषित किए जाएँगे। 6- एसोसिएसन की प्रबंधकारणी समिति के मुख्य खाते मे दान, चंदे या स्पोंसरशिप द्वारा प्राप्त धन को खेल एवं खिलाड़ियों के विकास हेतु प्रत्येक स्तर पर संचालित खातों के माध्यम से उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी। 7- प्रत्येक स्तर पर दान, चंदा या स्पोंसरशिप से प्राप्त धनराशि नगद नही ली जाएगी बल्कि एकाउंट पेयी चेक, आई0जी0आर0एस0, एन0इ0एफ0टी0 या ड्राफ्ट के द्वारा प्राप्त की जाएगी जबकि सदस्यता से प्राप्त धनराशि को सदस्यता रजिस्टर पर पंजीकृत रसीद द्वारा नगद भी ली जा सकती है लेकिन सदस्यता रजिस्टर पर सदस्य का पूर्ण विवरण के साथ आधार नंबर व पैनकार्ड नंबर दर्ज करना अनिवार्य रहेगा।**

**उपसमितियों के आय- व्यय का लेखा परीक्षण – 1- सत्र की समाप्ति पर एसोसिएसन के जनपदीय, मंडलीय व राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के खातों के लेखों का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष अधिकृत व्यक्ति द्वारा शासकीय नियमों के अनुरूप किसी सुयोग्य चार्टर्ड एकाउंटेण्ट से कराया जाएगा तथा वित्तीय वर्ष की समस्त आय-व्यय रिपोर्ट एसोसिएसन की प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 2- उपसमितियों द्वारा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व/ एसोसिएसन द्वारा होने वाले पक्ष विपक्ष के सभी प्रकार के मुकदमों की पैरवी प्रत्येक स्तर पर उसके अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अन्य किसी ब्यक्ति द्वारा की जाएगी ।**

**उपसमितियों के अभिलेख – (1) कार्यवाही रजिस्टर (2) पत्र व्यवहार रजिस्टर (3) सदस्यता रजिस्टर (4) स्टाक रजिस्टर (5) लेजर, कैशबुक (6) सदस्यता रसीद (7) लेटर पैड (8) व्यय की गयी राशि की रसीद फाइल (9) आयजित खेलकूद प्रतियोगिताओं की प्रतिभागिता व परिणाम रजिस्टर (10) दान या चन्दा रसीद आदि ।**

**विशेष नियम –**

**(1) एसोसिएसन के लिए कार्य करने वाले निर्णायकों/ प्रशिक्षकों/ आफ़ीसियल्स को अनुमन्य मानदेय तथा भत्ते दिये जाएँगे ।**

**(2) सरकार द्वारा तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त/ सरकारी खेल एसोसिएसन्स/ फेडरेशन आदि के द्वारा खेल व प्रबंधन से संबन्धित समय –समय पर जो नए नियम बनाए जाएँगे, एसोसिएसन उसका पालन करेगी ।**

**(3) एसोसिएसन द्वारा प्रत्येक स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं, कैंप, ट्रायल्स आदि से संबन्धित समस्त प्रकार के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं मे रखे जाएँगे।**

**(4) ब्लाक या तहसील स्तर पर भी कार्यकारी समितियां मनोनीत या निर्वाचित की जा सकती है परंतु मान्यता लेना अनिवार्य होगा ।**

**(5) राज्य/ मण्डल/ जनपद स्तरीय कोई भी कार्यकारी समिति यदि एसोसिएसन की प्रबंधकारिणी समिति के विरुद्ध या नियंत्रण मे रहे बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती है तो उस पूरी समिति को बर्खास्त कर नए सिरे से मनोनयन/ निर्वाचन किया जाएगा।**

**(6) एसोसिएसन से बिना मान्यता/ संबद्धता लिए किसी भी स्तर की कार्यकारी समिति टीचर्स गेम्स वेल्फेयर एसोसिएसन उ0प्र0 के नाम से संचालित करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।**

**(7) प्रत्येक स्तर की उपसमितियों द्वारा समस्त अभिलेखों/ रजिस्टरों का रख-रखाव, प्रबंधन व अभिलेखीय कार्य पूर्ण कराया जाएगा अन्यथा संबन्धित व्यक्ति/ पदाधिकारी या समस्त कार्यकारी समिति के ऊपर उचित कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है ।**

**(8) कोई भी आजीवन सदस्य जो शासकीय/ परिषदीय शिक्षक न हो वह भी कार्यकारती समिति के पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नही रहेगा ।**

**कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों तथा राज्य/ मण्डल/ जनपद स्तर के विभिन्न खेलों से संबन्धित महिला व पुरुष खेल प्रभारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –**

**(1) अध्यक्ष –**

**1- सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना । 2- समान मत होने पर अपना एक मत अतिरिक्त देना । 3- सदस्यों एवं पदाधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार करना । 4- बैठक की तिथियों का अनुमोदन करना । 5- बैठक स्थगित करना तथा पुनः आहूत करने हेतु निर्देश देना । 6- संस्था के सभी प्रकार की बैठकों के कोरम की जांच करना तत्पश्चात बैठक हो या न हो इसका निर्णय लेना । 7- सभी प्रकार की कार्यवाही को संचालित करना। 8- प्रशासनिक कार्य करना । 9- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, खेल मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय, वित्तीय संस्थानों, संस्थाओं, कंपनियों, एवं नागरिकों से आर्थिक सहायता, ऋण, दान, चन्दा, चल-अचल संपत्ति प्राप्त करना । 10- सदस्यता समाप्ति के विंदु- 6 के अनुसार सदस्यता समाप्त कर सदन को अवगत कराना । 11- समय- समय पर उपनियमों को बनाने हेतु साधारण समिति की बैठक आहूत कर नियम बनाना। 12- कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्ताव पास करके अपने स्तर की सभी प्रकार की संपत्ति का निष्पादन /निस्तारण करना । 13- एसोसिएसन द्वारा संचालित ट्रेनिंग कैंप, की प्रबंधकीय ब्यवस्था का प्रशासनिक नियंत्रण करना तथा समिति के निर्णयों से खेल परिसर, भवन आदि की ब्यवस्था कराना । 14- जनप्रतिनिधियों, गणमान्य लोगों, उच्च अधिकारियों आदि को अतिथि के तौर पर विभिन्न कार्यक्रमों मे आमंत्रित करना 15- अन्य वे समस्त कार्य करना जो संस्था की कार्यकारी /साधारण समिति द्वारा समय- समय पर प्रस्तावित किए जाय ।**

**(2) वरिष्ठ उपाध्यक्ष –**

**1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उनके कार्यभार को ग्रहण करना । 2- एसोसिएसन के विकास कार्यों मे सहयोग देना । 3- अन्य वे समस्त कार्य करना जो संस्था की कार्यकारी /साधारण समिति द्वारा समय- समय पर आदेशित/ निर्देशित किए जाय ।**

**(3) उपाध्यक्ष –**

**1- अध्यक्ष व वरिष्ठ उपाध्यक्ष के द्वारा दिये गए कार्यों का निष्पादन करना । 2- कार्यकारी /साधारण समिति की बैठकों को आहूत करना । 3- एसोसिएसन के विकास कार्यों मे सहयोग देना । 4- अन्य वे समस्त कार्य जो संस्था की कार्यकारी /साधारण समिति द्वारा समय- समय पर आदेशित/ निर्देशित किए जाय ।**

**(4) सचिव –**

**1- दान, अनुदान, चन्दा, ऋण प्राप्त करना । 2- उपरांत साधारण सभा के सदस्य बनाना, शुल्क प्राप्त करना व नए जुड़े हुये सदस्यों की सदस्यता को रजिस्टर या रसीद पर हस्ताक्षर कर प्रमाणित करना । 3- एसोसिएसन की ओर से अन्य खेल एसोसिएसन्स/ फेडरेशन्स, अन्य संस्थाओ, एजेंसियों, स्टेडियम, स्पोंसर्स आदि से पत्र ब्यवहार करना। 4- खेलों के आयोजन, ट्रायल्स, प्रशिक्षण आदि के लिए संबन्धित खेल के प्रभारी के साथ विभिन्न कमेटियों का अनुमोदन/ गठन करना । 5- सभी प्रकार के अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना । 6- एसोसिएसन के लिए चल- अचल संपत्ति अर्जित करना । 7- एसोसिएसन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं या कैंपों के विरोध मे कार्य करने वाले ब्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उचित कार्यवाही करना । 8- किसी भी समय संस्था के आय व्यय का ब्योरा संबन्धित पदाधिकारी से प्राप्त करना । 9- प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, तथा रेडियो आदि के माध्यम से एसोसिएसन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करवाना । 10- समस्त प्रकार के आयोजनों मे स्पोन्सरशिप लेने वाले फर्म /कंपनी /एजेंसी /संस्था को उसके प्रचार के लिए बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, आदि लगाने की अनुमति देना । 11- जनप्रतिनिधियों, गणमान्य लोगों, उच्च अधिकारियों आदि को अतिथि के तौर पर विभिन्न कार्यक्रमों मे आमंत्रित करना । 12- अन्य वे समस्त कार्य जो संस्था की कार्यकारी/ साधारण समिति द्वारा समय- समय पर आदेशित/ निर्देशित किए जाय ।**

**(5) संयुक्त सचिव –**

**1- सचिव की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष या कार्यकारी समिति द्वारा दिये गए कार्यों को निष्पादित करना। 2- बैठक की सूचना पदाधिकारियों व अन्य सदस्यों को देना तथा कार्यवाही को लिखना एवं बैठक मे कार्यवाही को पढ़ के सुनाना । 3- बैठकों में अनुशासन को बनाये रखना तथा एसोसिएशन के विरुद्ध में कार्य करने वाले पदाधिकारी या सदस्य के बारे में कार्यकारी समिति को अवगत कराना। 4- सचिव के कार्यो में सहयोग प्रदान करना। 5- एसोसिएसन के विकास कार्यों मे सहयोग देना । 6- अन्य वे समस्त कार्य जो संस्था की कार्यकारी/ साधारण समिति द्वारा समय- समय पर आदेशित/ निर्देशित किए जाय ।**

**(6) कोषाध्यक्ष –**

**1- अध्यक्ष या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना । 2- आय -व्यय का ब्योरा रखना । 3- अध्यक्ष की स्वीकृति के उपरांत नगद राशि बैंक मे जमा करना । 4- एसोसिएसन के विकास कार्यों मे सहयोग देना । 5- कार्यकारी समिति के निर्देशों के अधीन रहते हुये संस्था की समस्त सम्पत्तियों तथा धनराशियों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा विनियोजन का प्रबंध करना । 5-समिति के निर्देशों के अधीन रहते हुये संस्था की समस्त सम्पत्तियों तथा धनराशियों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा विनियोजन का प्रबंध करना । 6-लेखा पुस्तिकाओ ,कैश बुक, लेजर बुक आदि का रख-रखाव करना व संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना । 7- प्रत्येक वर्ष संस्था के सत्र की समाप्ती पर किसी योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट से आडिट कराना तथा उसकी रिपोर्ट कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना । 8- अन्य वे समस्त कार्य जो संस्था की कार्यवाही/ साधारण सभा द्वारा समय- समय पर आदेशित/ निर्देशित किए जाय ।**

**(7) अलग अलग खेलों के महिला व पुरुष प्रभारी -**

**1- संबंधित खेल के प्रशिक्षण, आयोजन, ट्रायल्स, खिलाड़ियों का चयन व विकास के लिए कार्य करना तथा उस खेल के लिए आवश्यक सुझावों व प्रस्तावों को कार्यकारी समिति के समक्ष रखना। 2- खेल से संबंधित आफीसियल्स, खेल के मैदान, खेल उपकरण, आयोजन की रूपरेखा, आयोजन का बजट आदि कार्यकारी समिति के समक्ष रखना। 3- अन्य वे कार्य जो कार्यकारी/ साधारण समिति द्वारा समय समय पर निर्देशित किये जाय।**

 **आज पूर्ण की गयी उक्त कार्यवाही व विभिन्न स्तरों पर गठित होने वाली उप समितियों के लिए बनाए गए नियम (बाईलाज) को उपस्थित सभी सदस्यों के पूर्ण समर्थन से अनुमोदित किया । सभी सदस्यों से प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर बनाए तथा ये भी तय हुआ कि आज प्रदेश भर मे जनपद/ मण्डल/ राज्य स्तर पर मनोनीत/ निर्वाचित उप समितियों (कार्यकारी समितियों) के लिए बनाए गए नियमो- विनियमों मे यदि कोई कमी रह गयी होगी तो आगे फिर एसोसिएसन के सदस्यों की कार्यवाही बैठक बुला कर पूर्ण कर ली जाएगी । इसके उपरांत टीचर्स गेम्स वेल्फेयर एसोसिएसन उ0प्र0 की कार्यवाही बैठक की अग्रिम तिथियों के लिए पुनः आहूत होने की सूचना देते हुये संस्था अध्यक्ष श्रीमती नीतू सिंह ने आज की बैठक को विसर्जित करने की औपचारिक घोषणा की ।**